

मुख्यमंत्री ने दो वर्ष की उपलब्धियों के दस्तावेज सदन पटल पर रखे

राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए भजनलाल ने कहा, दो वर्ष में राजस्व घाटा 8000 करोड़ कम किया

जयपुर, 5 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुईं बहस का जवाब देते हुए पहली बार दो वर्ष की उपलब्धियों का दस्तावेज सदन के पटल पर रखा। उन्होंने अपने वक्तव्य में सड़क, बिजली, पानी, कृषि, महिला, युवा कल्याण सहित विभिन्न

■ **“खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष, इसे बचाने के लिये कानून लायेंगे।”**

■ **“देश की 11 जनकल्याणकारी योजनाओं में राजस्थान पहले स्थान पर है।”**

■ **“वर्ष 2023 की तुलना में 2025 में 14.13 प्रतिशत अपराध में कमी आई।”**

क्षेत्रों में वर्तमान सरकार द्वारा दो साल में किए गए कार्यों का तुलनात्मक ब्यूरा सदन के सामने रखा और कहा कि राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था को न केवल स्थिरता दी, बल्कि उसे गति और दिशा भी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष भी है, राजस्थान की पहचान भी है, जिसकी बढ ते हुए रेगिस्तान को रोकने में हमेशा सार्थक

ईसाई रीति से हुए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिणु अदालत ने कहा कि विवाह केवल रिश्ते संबंध नहीं, बल्कि एक वैधानिक स्थिति है। जिससे उत्तराधिकार, सामाजिक सुरक्षा और भरण पोषण सहित अन्य परिणाम उत्पन्न होते हैं। जनहित याचिका में अधिवक्ता सुसेन मैथ्यू ने अदालत को बताया कि प्रदेश में ईसाई युगल ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के तहत विवाह करते हैं। इस अधिनियम के तहत विवाह कराने वाले पादरी की ओर से जो विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसे ही पंजीकृत किया जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद इन विवाहों को नगर

निगम के रजिस्ट्रार अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2009 की गलत तरीके से व्याख्या कर पंजीकृत करने में आनाकानी करते हैं। याचिका में कहा गया कि विवाह पंजीकरण नहीं होने से ईसाई दंपतियों को पासपोर्ट और वीजा सहित अन्य सरकारी सेवाओं के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह पादरी को ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्रों का पंजीकरण करें।

राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम के प्रावधान ईसाई विवाहों पर लागू नहीं होता है।

इण्डो-यूएस ट्रेड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत या उससे ज्यादा शुल्क लगाया जाए। अमेरिकी दावों की किसी आधिकारिक ख़ौत से पुष्टि नहीं हुई है। रूसी तेल की भारत द्वारा खरीद के मुद्दे पर आधिकारिक जानकारी सिर्फ इतनी है कि भारत वेनेजुएला के सदस्यता है के आयात की संभावना पर विचार करने को तैयार है। अगर वेनेजुएला का तेल रूसी तेल से सस्ता होगा, तो भारत के लिए यह से तेल खरीदना फायदेमंद हो सकता है। रूस से तेल खरीदने का मुख्य

कारण कम कीमत थी। रूस भारी छूट देकर तेल बेच रहा था क्योंकि दूसरी जगहों पर उसकी बिक्री कम हो रही थी। रूस से तेल खरीदने से भारत का तेल आयात खर्च काफी कम हुआ था। रूस से तेल खरीद पूरी तरह बंद होने के करीब नहीं है। अगर इसमें कोई बड़ी कमी आती भी है, तो उसे लागू होने में कई साल लग सकते हैं। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर भारत और अमेरिकी राष्ट्रपति, दोनों को कुछ न कुछ फायदा मिलता दिख रहा है।

संसद में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
प्रधानमंत्री के जवाब के 3समय की प्रतिक्रिया के बारे में विशेष चर्चा हुई।

बैठक में खड़गे के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में द्रमुक के तिरुवि एन. शिवा, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल वर्मा, शिव सेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ,इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ईटी बशीर अहमद सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया।

बाद में कांग्रेस संसदीय दल के नेताओं की भी पार्टी के सांसद दल के कार्यालय में बैठक हुई जिसमें गांधी सहित पार्टी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया।

प.बंगाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कांग्रेस को एकतरफा समर्थन देना चाहिए। प्रदेश के एक कांग्रेस नेता ने कहा, “यह ठीक है कि आप अपने घर में मजबूत हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों को कुचल डालों।”

“अकेले चलने के फैसले पर हरी झंडी मिलने की पुष्टि करते हुए, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के एकमात्र सांसद इशा खान चौधरी ने कहा कि इस फैसले को राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है। कांग्रेस बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने भी इस फैसले की पुष्टि की।

‘दुनिया का सबसे अमीर देश भी घुसपैठियों को निकाल रहा है’

प्रमंत्री मोदी ने तृणमूल पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल घुसपैठियों की वकील बन सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है

नयी दिल्ली, 05 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम और सरकार के आर्थिक सुधारों सहित विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के विरोध पर गुरुवार को राज्य सभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सोच और राजनीति पर तीखे हमले किये। मोदी ने विपक्ष के बहिष्कार के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा का जवाब देते हुए एसआईआर के विरोध के लिए तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए तृणमूल के लोगों को अपने गिरिबां में झांकने की सलाह दी और कहा कि तृणमूल पतन के ये मानदंड बना रही हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार को निर्मम सरकार बताते हुए कहा कि वह लोगों को भविष्य अंधकार में डाल रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे समृद्ध देश भी अपने यहां से गैर कानूनी नागरिकों को निकाल रहा है, लेकिन तृणमूल के लोग घुसपैठियों की

अल-फलाह चेयरमैन सिद्दीकी चार दिन पुलिस हिरासत में

नयी दिल्ली, 05 फरवरी। एक निचली अदालत ने विवादों में धिरे अल-फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को कथित धोखाधड़ी और वित्तीय कदाचार के मामले में चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

सिद्दीकी को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे आगे की पृष्ठताछ के लिए चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायतों के बाद शुरू की गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) ने उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अपराध शाखा ने यूजीसी की शिकायतों के आधार पर सिद्दीकी के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की थी।

‘सदन में प्रमंत्री के साथ हादसा हो सकता था, मैंने उन्हें सदन में आने के लिए मना किया था’

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया बेहद गंभीर चौंकाने वाला खुलासा

नई दिल्ली, 05 फरवरी। संसद के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ है जब लोकसभा अध्यक्ष ने खुद यह स्वीकार किया है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सम्मान को सदन के भीतर ही खतरा था।

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने गुरुवार को एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने ही कल (बुधवार) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आने से रोका था। बिड़ला ने आशंका जताई

मेघालय में अवैध कोयला खदान में धमाका, 1 8 मजदूरों की मौत

खदान में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है

शिलांग, 05 फरवरी। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक कोयला खदान में हुए धमाके में 18 मजदूरों की मौत हो गई। कई लोग अभी फंसे भी हैं। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुःख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2–2 लाख रुपए के सहायता राशि की घोषणा की है। पहले इस हादसे में 4 फिर 16 और अब 18 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में हुए कोयला खदान विस्फोट पर गहरा दुःख व्यक्त किया, जिसमें कम से कम 16 मजदूरों की मौत हो गई। उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ)

■ **प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर गहरा दुःख जताया, मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रु. व घायलों को 50,000 रु. देने की घोषणा की।**

ने मोदी के हवाले से एक पोस्ट में कहा, “मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स में हुई दुर्घटना से व्यथित हूं। अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।” मोदी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख

रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

आधिकारिक रूप से मिली जानकारी के अनुसार मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में गुरुवार को “अवैध कोयला खदान में विस्फोट होने से कम से कम 16 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य के फंसे होने की आशंका है। पुलिस महानिदेशक आई नोंगरंग ने यह जानकारी दी। डीजीपी ने बताया कि यह घटना थांगस्कु इलाके में हुई और बचाव दल तलाशी अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमने अब तक 16 शव बरामद किए हैं, लेकिन विस्फोट के समय खदान के अंदर मौजूद लोगों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।

‘सदन में प्रमंत्री के साथ हादसा हो सकता था, मैंने उन्हें सदन में आने के लिए मना किया था’

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया बेहद गंभीर चौंकाने वाला खुलासा

■ **ओम बिड़ला ने कहा उन्हें खुफिया जानकारी के साथ सदन के भीतर के हालात से इनपुट मिला था कांग्रेस के सांसद प्रमंत्री के कुर्सी के पास आकर हंगामा कर तथा अनहोनी करने की योजना बना रहे हैं।**

कि अगर पीएम मोदी कल सदन में आते, तो उनके साथ कोई अप्रत्याशित और अग्रिय घटना घट सकती थी। स्पीकर ने बताया कि उन्हें खुफिया जानकारी और सदन के भीतर के हालात से यह इनपुट मिला था कि

आसाराम के अहमदाबाद आश्रम पर बुलडोजर चलेगा

अहमदाबाद, 05 फरवरी। आसाराम का अहमदाबाद स्थित आश्रम टूटेगा। गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को मोटेरा आश्रम ट्रस्ट की तरफ से दायर याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में शहर के मोटेरा इलाके में स्थित भूखंड को खाली कराने की सरकारी कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार के लिए आश्रम की जमीन अपने कब्जे में लेने का रास्ता साफ हो गया है। आश्रम की 45,000 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है। वर्तमान में इस जमीन की मार्केट वैल्यू 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की है।

गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस वैभवजी नानावटी ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि आश्रम में नियमों का उल्लंघन हुआ। उस जमीन का विकास परियोजना को जबरन भी है, इसलिए सरकार की मांग सही है।

इस फैसले के बाद अहमदाबाद नगर निगम कभी भी आश्रम में बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर सकता है।

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर पब्लिक प्रॉसीक्यूटर जीएच विर्क ने कोर्ट को बताया कि यह जमीन

■ **गुजरात हाईकोर्ट ने आश्रम की जमीन लेने की सरकारी कार्यवाही को सही ठहराया**

दशकों पहले सीमित धार्मिक उपयोग के लिए दी गई थी। लेकिन, धीरे-धीरे इसका विस्तार होता चला गया।

जबकि, भूमि आवंटन की शर्तों के अनुसार इसका व्यवसायिक उपयोग, अनधिकृत निर्माण और बिना अनुमति विस्तार प्रतिबंधित था। आश्रम परिसर में करीब 32 अवैध स्ट्रक्चर बना लिए गए, जो कानूनी सीमाओं से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एएमसी) ने आश्रम को कई बार नोटिस भेजे थे। इसके बाद 21 जनवरी 2026 को नगर निगम ने आश्रम का आवेदन भी खारिज कर दिया था।

साबरमती नदी किनारे इस आश्रम की स्थापना आसाराम ने 1972 में की थी। आसाराम ने यहां सबसे पहले एक कुटिया बनाई थी, जिसे मोक्ष कुटिया के रूप में पहचाना जाता था। धीरे-धीरे इसी कुटिया के आसपास निर्माण कार्य होता चला गया और बाद में इसे आसाराम मोटेरा आश्रम के नाम से पहचाना जाने लगा।

बिहार चुनाव में “कैश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के लिए पात्रता को (महिला स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क) की सदस्यता से जोड़ा गया था। राज्य ने घोषणा की थी कि पहले से जीविका योजना का हिस्सा न होने वाली महिलाएं भी इस योजना में नामांकन कर लाभ उठा सकती हैं।

जन सुराज पार्टी ने आरोप लगाया है कि जब आचार संहिता लागू हुई तब लगभग एक करोड़ महिलाएं पहले से जीविका से जुड़ी हुई थीं, बाद में समाचार पत्रों की रिपोर्टों में यह सामने आया कि कुल 1.56 करोड़ महिलाओं को भुगतान किया गया।

याचिका का दावा है कि यह दर्शाता है कि नए लाभार्थियों को चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के बाद जोड़ा गया और भुगतान किया गया, जबकि चुनाव आचार संहिता लागू थी।

याचिका में कहा गया है कि इस अवधि में नकद लाभ जारी करना “भ्रष्ट आचरण” था, जो मतदाताओं को अनुचित तरीके से सत्तारूढ़ सरकार के पक्ष में प्रभावित करने के लिए था। याचिका का यह भी दावा है कि इससे अन्य राजनीतिक दलों को समान अवसर नहीं मिला और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की मौलिक आवश्यकता पर आक्रमण था।

याचिका में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि जो इस

योजना की लाभार्थी थीं, महिलाएं उन्हें मतदान के दिनों में दोनों चरणों के चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया, हालांकि इनमें से कई महिलाएं पहले ही नकद लाभ प्राप्त कर चुकी थीं।

जन सुराज का कहना है कि इस तैनाती का कोई तर्क नहीं था इसने और यह चुनावों के दौरान अपेक्षित तटस्थता को ओर कमजोर कर दिया। याचिका में एक और महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि योजना को कैसे वित्त पोषित किया गया। पार्टी का आरोप है कि इस कार्यक्रम को बिना वैधानिक स्वीकृति के मंत्रिमंडल के निर्णय से मंजूरी दी गई थी और पैसे राज्य के आकस्मिक कोष से निकाले गए थे, जो संविधान के अनुच्छेद 267 का उल्लंघन था। यह आरोप लगाया गया है कि योजना नियमित बजटीय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी।

अपने मामले को मजबूत करने के लिए, याचिका में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पहले जारी निर्देशों का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि चुनाव की घोषणा के बाद अगर सरकारें कल्याण योजनाओं की घोषणा करती हैं, नई निर्धियां जारी करती हैं, या लाभार्थी कार्यक्रमों को विस्तार देती हैं, तो यह मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए हो सकता है तो उन पर रोक लगाई जाती है।

याचिका का कहना है कि इन स्पष्ट

निर्देशों के बावजूद, बिहार सरकार ने चुनावी अवधि में नकद हस्तांतरण जारी रखा और चुनाव आयोग प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करने में विफल रहा।

याचिका के अनुसार क्रियान्वयन चुनावों से ठीक पहले इस तरह की सीधी नकद राशि र. हस्तांतरण योजना जो, चुनाव आचार संहिता क्रियान्वयन के दौरान जारी रही, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।

इस प्रकार, चुनावी प्रक्रिया दूषित हो गई, जिससे 1951 के प्रतिनिधित्व चुनाव और संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 324 का उल्लंघन हुआ, ऐसा कहा गया है।

पार्टी ने कोर्ट से कहा है कि वह समाचार पत्रों की रिपोर्टों की आधिकारिक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर रही है क्योंकि सरकारी वेबसाइटों पर आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देशों का हवाला दिया गया है, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को संविधान की एक मूलभूत विशेषता के रूप में माना गया है और कहा गया है कि कल्याणकारी उपायों को चुनावी लाभ प्राप्त करने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

याचिका पर 6 फरवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर सकती है।

‘इण्डो- यूएस ट्रेड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
केवल विमान की मांग और ऑर्डर ही 70–80 अरब डॉलर के होंगे, जो अमेरिका से खरीद का हिस्सा होंगे।

उन्होंने कहा कि भारत को हर साल लगभग 300 अरब डॉलर का सामान आयात करना होगा और इसमें ऊर्जा, विमान और चिप्स का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका होगा।

अधिकारियों ने कहा कि अगले पांच वर्षों में भारत की कुल खरीद 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी और इसमें से 500 अरब डॉलर का सामान अमेरिका से आएगा।

इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रम्प से बातचीत की थी और बाद में शुल्क में कमी को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि संशोधित टैरिफ दर से भारतीय निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, खासकर श्रम-प्रधान क्षेत्रों और रोजगार सृजन को फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी पक्ष ने अंतिम शुल्क दर की पुष्टि कर दी है। विदेश मंत्रालय ने उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें राष्ट्रपति ट्रम्प ने दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका तथा संभवतः वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमति जताई है। भारत का पक्ष स्पष्ट करते हुए जायसवाल ने कहा कि वेनेजुएला लंबे समय से भारत का एनर्जी पार्टनर रहा है और तेल क्षेत्र में दोनों देशों के बीच कई

वर्षों से व्यापार और निवेश संबंध हैं। हालांकि प्रवक्ता ने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं।

उन्होंने बताया कि कैसे प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला से भारत का कच्चे तेल का आयात प्रभावित हुआ था। कुछ समय के लिए आपूर्ति फिर शुरू हुई थी, लेकिन प्रतिबंध दोबारा लागू होने के बाद फिर रुक गई।

प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी फैसले बाहरी दबाव के बजाय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता के लिए थरोपेमंद और सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, सरकार कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुकी है कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाजार की स्थिति और बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात के अनुसार ऊर्जा खोतों में विविधता लाना हमारी रणनीति का मुख्य हिस्सा है। भारत के सभी फैसले इसी सोच के साथ लिए जाई हैं और आगे भी लिए जाएंगे।

गुरुवार को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
सृजित किया गया है। लोकसभाध्यक्ष ने कहा कि सदस्य पोस्टर लेखक आयेंगे तो सदन नहीं चलेगा। सदरन में कल की घटना को देश ने देखा है।

माईन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333–34, कोटा कार्यालय : पलायका हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744–2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294–2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145–2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फैस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973–226424
इण्डोनेसिया कार्यालय :- जी –1–201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डोनेसिया। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469–230600
चूरू कार्यालय : एच–150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562–256908

●●●●●

⊕

●●●●●

⊕

●●●●●

⊕

●●●●●